

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

नारायण बनाम अंजना

निसाल संख्या 03/2023

72


दि.....

दि 02/01/24 को पत्रावली पेश हुई।
संघ द्वारा आज कन्वोलेंस किये जाने के कारण न्यायिक
कार्यावली नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में
ब्यस्त है। अतः पत्रावली पुनोनुसार दि. 09/01/24
को पेश हो।

09/01/24 पत्रावली फा 133 / उभय पक्ष अधिवक्ता
उपस्थित।

अपार्षी 02 ग्यामा व फर्द
श्री श्री आनवली मिनी।

पत्रावली काफ़ी वैधम्य मुकाम
श्री श्री 2 दि. 16/01/24 को पेश
श्री


उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

16/01/24 पत्रावली फा 133 / उभय पक्ष
अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली मूल वारि के माध्य
दि. 23/01/24 को पेश श।।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

23/01/24 पत्रावली फा 133 / उभय पक्ष
अधिवक्ता उपस्थित।

वारि/प्राप्ति की अति से
जयपुर 02/01/24 C.P.C की फा 133/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

नामांक बनाम इज्जत

मिसल संख्या : 03/2023

पृ. 7.

दि.

जी हासिम फारुकी (श्री) प्रोफेस पर उमरपत्र री मुता 1221 प्रोफेस 02224 CPC याचनहित में (कीमत क्रिया जाना है) संशोधित उवाच पद्य है।

परिवारी/अपघात 02 ज्वाला री वारिसन री आर से खउवीर मुकदम उमा री वरालननामा पदा क्रियन जी हासिम फारुकी (श्री)

अपघातक संख्या 1, 3, लो 3, 5, लो 8, 9, लो 9/3, 10, लो 10/5, 11, लो 11/4, 12 लो 14 री मध्य न मामिल पद्य 1 (श्री) इनकी नामिल होर के वाकूड उपस्थित नहीं होर से खपपीर शरीरवादी अमल में लायी वाली है।

अपघातक संख्या 02 ज्वाला री वारिसन री अपघातक संख्या 4, 5, 16 री वरालननामा पद्य है इनकी आर से शरीर जवाब प्रोफेस पदा नहीं हुआ।

मूल वाद वरालननामा री पद्यकी निषेधाया नहीं मूल वाद में प्रथमिके डिब्री जाये हो लुबी है।

फारुकी री अवली व न क्रिया अर उमा उम में

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जागतिक बनाम अंजना

संख्या :- 13/2023
2023

र.प.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

काठ वसुन्ता की मंत्रावना से मध्य रात्रि
 रात्रि 12/01/2023 को
 आस्था पर उपकरण को लक्ष्य बना कर
 जस्ये अस्वास्थ्य निषेधाज्ञा में पकड़ किया
 जाता है कि ग्राम कचैरावना उर्फ खैरामावम
 पश्चात् इलाका इकम लक्ष आमेर स्थित
 काठ अधीन भूमि के मॉड्यु की विधिति
 यथावत बनाये रखे। आदेश सुनाया गया।
 परावली केमल हुमादा हीवा उर्फ नखर
 से 2 महीने।

उपखण्ड अधिकारी
 आमेर, जिला- जयपुर